परिपत्र संख्या 8/2017-सीमा शुल्क

फा.सं.609/106/2016-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2017

सेवा में,
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ प्रधान महानिदेशक, सीबीईसी
सभी मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक, सीबीईसी
सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीबीईसी
महानिदेशक प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन
प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी

महोदया/महोदय,

विषयः निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर राज्य करों से छूट (आरओएसएल) – जिसे सीबीईसी द्वारा क्रियान्वित किया जाना है – की बाबत।

भारत सरकार ने वस्त्रो के, निर्यात पर जो राज्य करों में छुट दी है उसको अब प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर की अनुसूची के अध्याय 63 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्यात पर भी लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसा वस्त्र मंत्रालय की योजना के अंतर्गत किए जाने वाले बजट के आधार पर किया जा रहा है जिसमें राजस्व विभाग / केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) वर्तमान प्रतिअदायगी के साथ राज्य करो में वितरण का भी काम देखेगा। यह बिल्कुल परिधानों पर दिए जाने वाले आरओएसएल की तर्ज पर ही है जिसका ब्यौरा परिपत्र संख्या 43/2016-सीमा शुल्क दिनांक 31.08.2016 में उपलब्ध है।

2. इस निर्णय के अनुपालन में केंद्र सरकार (कपड़ा मंत्रालय) ने विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर आरओएसएल की योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना संख्या 12015/47/2016-आईटी, दिनांक 03.01.2017 को जारी किया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीईसी) के द्वारा गठित प्रतिअदायगी समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार (कपड़ा मंत्रालय) ने अधिसूचना संख्या 12015/47/2016-आईटी., दिनांक 15.03.2017 को जारी करके अनुसूची-3 में इस छूट की दरों को अधिसूचित कर दिया है। इन अधिसूचनाओं को egazette.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं उनका अनुपालन किया जा सकता है। इस परिपत्र में इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

3. इस आरओएसएल योजना का संबंध उन निर्मित वस्तुओं से है जिनको इस योजना के अंतर्गत उन वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर की अनुसूची के अध्याय 63 के अंतर्गत आती हैं, उन वस्तुओ को छोड़कर जो कि टैरिफ मद 6308, 6309 और 6310 के अंतर्गत आती है और उन वस्तुओ को छोड़कर जो कि टैरिफ मद 9404 के अंतर्गत आने वाली वे वस्तुएँ जिनको प्रतिअदायगी प्रति मद 6304 से बाहर रखा गया है। यह योजना दिनांक 23.03.2017 के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तथा इसके आगे से होने वाले निर्यात पर लागू होती है। हालांकि इसे तीन वर्ष के लिए लागू किया गया है फिर भी सन्निहित परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए केंद्र सरकार छूट की दरों में समायोजन कर सकती है।

4. छूट की अधिसूचित दरों के साथ-साथ रुपये प्रति इकाई में छूट पर अधिकतम सीमा भी लगाई गई है। इन दरों को औसत आधार पर लगाया गया है और इनका निर्धारण उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों का निर्धारण होता है। छूट की इन दरों को किसी घटक कर या इंपुट में विभाजन नहीं किया जा सकता है। इन छूट

की दरों को सामान्य दरों के रूप में लागू किया गया है (अनुसूची 3)। यह अनुसूची प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर की वर्तमान अनुसूची के अध्याय 63 पर आधारित है। यह छूट उस निर्यात पर लागू नहीं होती है जो कि शुल्क प्रतिअदायगी के नियम 6 के अंतर्गत शुल्क प्रतिअदायगी का दावा करते हुए अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत किया जाता है। आरओएसएल योजना के अंतर्गत निर्यात की जो परिभाषा दी गई है उसमें डीटीए से एसईजैड इकाइयों तक होने वाले वस्तुओं के आवागमन को शामिल नहीं किया गया है।

5. निर्यातक को प्रतिअदायगी निर्यात में मद-स्तर पर दावे और पात्रता संबंधी घोषणा करनी होगी। यह प्रतिअदायगी निर्यात (शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट) अकेले भी हो सकता है और किसी अन्य योजना के साथ संयुक्त रूप से भी हो सकता है। निर्मित वस्तुओ के लिए आरओएसएल पर स्कीम कोड 60- प्रतिअदायगी और आरओएसएल और 61-ईपीसीजी, प्रतिअदायगी और आरओएसएल लागू होते हैं और निर्यातकर्ता को मद-स्तर पर इसकी घोषणा करनी होती है जिससे कि वह छूट के लिए दावा और घोषणा कर सके। ईडीआई शिपिंग बिल के मामले में स्कीम कोड जिसमें कि आरओएसएल योजना भी शामिल है का निर्यात के समय चयन करने से यह मान लिया जाएगा कि पात्रता संबंधी दावा और घोषणा पूरा हो गई है। ईडीआई शिपिंग बिल के मामले में दावा करने का यही एकमात्र उपाय है। यदि मैनुअल शिपिंग बिल की जरूरत पड़ती है तभी शिपिंग बिल पर मुद्रित दावा और घोषणा को स्वीकार किया जाएगा। इस तरीके के अलावा अन्य किसी प्रकार से छूट के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. छूट की राशि की गणना एफओबी मूल्य तथा आरओएसएल योजना में विनिर्दिष्ट दर और छूट की सीमा का प्रयोग करते हुए की जाती है। उक्त अनुसूची-3 के कालम (4) और (5) में दर्शाई गई टैरिफ मदों की दर और छूट की सीमा का प्रयोग गणना के लिए तब किया जाता है जब शिपिंग बिल में अखिल औद्योगिक दर प्रतिअदायगी का दावा किया गया हो अथवा जब ब्रॉड दर के दावे के अंतर्गत प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत निर्यात शामिल हो और इसके साथ पहचानकारक 9807 हो तथा जिसके पश्चात अखिल औद्योगिक दर प्रतिअदायगी अनुसूची, जहाँ सीमा शुल्क हिस्से की अनंतिम प्रतिअदायगी का भुगतान किया जाना है, की टैरिफ मद संख्या और प्रत्यय (ख) हो।

7. परिपत्र संख्या 43/2016-सीमा शुल्क दिनांक 31.08.2016 में वस्त्रो से संबंधित आरओएसएल के लिए दिए गए सभी दिशा-निर्देश का और आरओएसएल के संबंध में प्रणाली निदेशालय और प्रधान सीसीए सीबीईसी द्वारा की गई व्यवस्था का यथावश्यक परिवर्तन के साथ सभी निर्मित वस्तुओं के मामले में प्रयोग किया जाएगा।

8. इन दिशा-निर्देशों के आधार पर आयुक्तों के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह जरूरी होगा कि वे अधिकारियों और निर्यातकर्ताओं को पर्याप्त दिशा-निर्देशों दें जिससे कि आरओएसएल योजना को सही ढंग से लागू किया जा सके।

9. यदि इसके कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आती है और आयुक्त उसका समाधान नहीं कर पाते है तो इसका समाधान मुख्य आयुक्त करेगा और इसकी सूचना बोर्ड को दे देगा। मुख्य आयुक्त समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो इस बात को बोर्ड की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (प्रतिअदायगी)

सूचनार्थ प्रेषित –
वित्त मंत्री के निजी सचिव/ वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव(आर)
सचिव (राजस्व)
अध्यक्ष (सीबीईसी)
सीबीईसी के सभी सदस्य